



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042024-253591
CG-DL-E-06042024-253591

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1553]
No. 1553]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 5, 2024/चैत्र 16, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 5, 2024/CHAITRA 16, 1946

भारी उद्योग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2024

का.आ. 1636(अ).— भारत के राजपत्र में भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में 13 मार्च, 2024 को प्रकाशित भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 1334(अ) में, हिंदी संस्करण में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं:

- पैरा 6 में, "अधिकअधिक" शब्द को "अधिकाधिक" पढ़ा जाए।
- पैरा 24 के अंतर्गत तालिका संख्या 4 में, अंतिम पंक्ति को "ई-दुपहिया (एल5)" के स्थान पर "ई-तिपहिया" (एल5)" पढ़ा जाए।
- पैरा 29 के बाद अनुलग्नक-I में तालिका के क्रम संख्या 8 को "सचिव, उत्तर-पूर्व विकास मंत्रालय" के स्थान पर "सचिव, नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय" पढ़ा जाए।

[फा. सं. 1(1)/2018-AEI(14722)]

डॉ. हनीफ कुरैशी, अपर सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 5th April, 2024

S.O. 1636(E).— In the Notification of the Ministry of Heavy Industries, Government of India, S.O.1334 (E) dated the 13th March, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section(ii), the following amendments in the Hindi version are hereby made:

1. In para 6, the word अधिकअधिक may be read as “अधिकाधिक”.
2. In table no. 4 under para 24, the last row should be read as “ई-तिपहिया”(एल5)” in place of “ई-दुपहिया (एल5)”
3. In Annexure-I, after para 29, the sl.no. 8 of the table should be read as “सचिव, नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय” in place of सचिव, उत्तर-पूर्व विकास मंत्रालय.

[F. No. 1(1)/2018-AEI(14722)]

Dr. HANIF QURESHI, Add. Secy.